

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक G/1/A-4(i)(a)/17/25/110 दिनांक 31.01.2026 के द्वारा अग्रलिखित कर्मचारीगण का उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 04 में अंकित न्यायक्षेत्र से कोटपूतली-बहरोड़ न्यायक्षेत्र में विभिन्न संवर्गों में अन्तर जिला न्यायक्षेत्र स्थानान्तरण अग्रलिखित शर्तों के साथ किया गया है:-

01. प्राप्तीगण को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
02. प्राप्तीगण योगकाल का उपभोग नहीं कर सकेंगे।
03. प्राप्तीगण का इस न्याय क्षेत्र में वरिष्ठता का निर्धारण नियमों एवं स्थानान्तरण नीति के अनुसार होगा।

कर्मचारीगण द्वारा कॉलम संख्या 05 में अंकित दिनांक को इस न्यायक्षेत्र में अपनी उपस्थिति दी गई है। कर्मचारीगण के नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 06 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है:-

क. सं.	नाम कर्मचारी	पद	अन्तर जिला न्यायक्षेत्र का नाम	इस न्यायक्षेत्र में कार्यभार ग्रहण तिथि	पदस्थापन कार्यालय	आकस्मिक अवकाश/ऐच्छिक अवकाश
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सागर इन्दौरिया	लिपिक ग्रेड-प्रथम	उदयपुर	27.02.2026 मध्याह्न पूर्व	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली।	CL - 13 RH- 14-09-2026 29-10-2026
2	श्री धर्मेन्द्र कुमार बिजारनिया	लिपिक ग्रेड-प्रथम	उदयपुर	27.02.2026 मध्याह्न पूर्व	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली।	CL - 15 RH- 04-04-2026 01-05-2026

II

प्रशासनिक आधार पर कर्मचारी का स्थानान्तरण /पदस्थापन, तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार किया जाता है:

क.सं.	नाम कर्मचारी	पद	कहां से	कहां पर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	श्री सिकन्दर मीणा,	लिपिक ग्रेड-द्वितीय	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, कोटपूतली	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर	श्री प्रगति वर्मा के स्थान पर
2	श्री पृथ्वी राज मीणा,	शेरीस्तेदार ग्रेड-प्रथम	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-02, बहरोड़	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, कोटपूतली	रिक्त पद पर
3	श्रीमती प्रगति वर्मा	लिपिक ग्रेड-द्वितीय	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बानसूर	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानसूर	लिपिक ग्रेड-प्रथम के रिक्त पद के विरुद्ध पर
4	शिवांगी सिंह	लिपिक ग्रेड-द्वितीय	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बानसूर	लिपिक ग्रेड-प्रथम के रिक्त पद के विरुद्ध पर

नोट:- 01. आदेश I अंकित कर्मचारीगण को आज दिनांक 27.02.2026 को मध्याह्न पश्चात कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 06 में वर्णित पदस्थापन कार्यालय/न्यायालय में नियमानुसार कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित हों एवं पीठासीन अधिकारी कर्मचारीगण के कार्यग्रहण करने की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवायें।

02. पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आदेश II में वर्णित कर्मचारीगण को 03 कार्य दिवस में कार्यमुक्त करने एवं कार्यग्रहण करने की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।

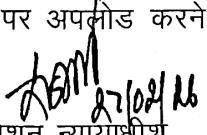
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटपूतली

क्रमांक: 1056-1065
स्था0 /

दिनांक: 27 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, लेखाशाखा, जिला न्यायालय कोटपूतली।
2. संबंधित न्यायालय.....।
3. संबंधित कर्मचारी श्री।
4. सिस्टम सहायक को जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटपूतली की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।
5. निजी/संबंधित पत्रावली।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटपूतली